प्रेस नोट दिनाँक- 21.11.2023

(1). आज दिनाँक 21.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 21.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को **"मिशन शक्ति"** व **''शक्ति दीदी''** के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे- चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीम वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 20 क्वार्टर देशी व 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की ।

(i). उ0नि0 श्री अज़हर जमाल थाना भरतकूप तथा हमराही आरक्षी अंकित व आरक्षी राकेश द्वारा अभियुक्त रामदीन पुत्र रामनारायण यादव निवासी बारामाफी थाना पहाड़ी चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(ii). उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय थाना सरधुवा तथा उनके हमराही मुख्य आरक्षी अरविन्द सोनी द्वारा अभियुक्त ब्रजेश कुमार उर्फ रज्जू पुत्र महेश प्रसाद निवासी कालूपुर कस्बा व थाना सरधुव जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के

साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामकुमार तथा उनके हमराही आरक्षी अजीजुद्दीन द्वारा अ0सं0 225/96 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी व धारा 82,83,सीआरपीसी का अभियुक्त सुरेश पुत्र छोटेलाल ग्राम इमिलिया थाना भरतकूप चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले अभियुक्त 1.रामराज पुत्र धर्मराज यादव निवासी सरधुवा 2. रमुवा पुत्र त्रिलोकी यादव निवासी सरधुवा 3. रिंकी पुत्र औबल निवासी खरियारीपुरवा मजरा सरधुवा थाना सरधुवा जनपद जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(7). युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा जनपदीय पुलिस विभाग के साथ स्टूडेंट पुलिस एक्सप्रिएन्शल लर्निंग प्रोग्राम चलाये जाने के क्रम में आज दिनांक 21.11.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी राजापुर/नोडल अधिकारी स्टूडेंट पुलिस एक्सपीरियेन्शल लर्निंग प्रोग्राम श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में SPEL कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मन सेल के उ0नि0 श्री जयलाल द्वारा सम्मन सेल के बारे में, कम्प्यूटर आपरेटर मनीष वर्मा द्वारा सी0सी0टी0एन0एस0/सी-प्लान के बारे में, महिला आरक्षी माद्री तोमर द्वारा महिला सशक्तिकरण के बारे में, अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पेशकार श्री राजकुमार द्वारा अपर कार्यालय के बारे में, विशेष जांच प्रकोष्ठ में महिला आरक्षी रिंकी द्वारा विशेष प्रकोष्ठी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय चित्रकूट से चयनित 50 छात्रों को साइबर क्राइम, सोशल मीडिया एवं विशेष जांच प्रकोष्ठ के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से पढ़ाया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी छात्रों को पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का भ्रमण कराया गया एवं सभी शाखाओं की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से बताया गया।

इस दौरान सोशल मीडिया/साइबर सेल प्रभारी श्री विजय सिंह, कम्प्यूटर आपरेटर मनीष वर्मा, मुख्य आरक्षी अरविन्द राजपूत, जनशिकायत प्रकोष्ठ आरक्षी विजयलाल, महिला आरक्षी रिंकी यादव द्वारा अपनी-अपनी शाखाओं के सम्बन्ध में बताया गया।

(8). मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 430/2016 धारा 354,354ए,354डी,323,504,506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र हरिप्रसाद गोसाई निवासी छेछरिया बुजुर्ग थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 04 वर्ष का कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 11.05.2016 को थाना कोतवाली कर्वी में एक गांव के वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि जितेन्द्र उर्फ जीतू उपरोक्त द्वारा मेरी नाबालिक पुत्री के साथ अस्लील हरकत करना विरोध करने पर गाली-गलौज कर बर्बाद करने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 430/2016 धारा 354,354ए,354डी,323,504,506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट बनाम जितेन्द्र उर्फ जीतू उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन

उ0नि0 श्री शरद चन्द्र पटेल द्वारा की गयी थी। दिनाँक 21.05.2016 को आरोपी को गिरफ्तार कर किया गया था तथा दिनांक 13.07.2016 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(9). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला की नेतृत्व में यातायात माह के दृष्टिगत धनुष चौराहा पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के उपस्थिति में कोतवाली कर्वी पुलिस बल व यातायात पुलिस बल के साथ 02/04 वाहनों की चेकिंग करायी गयी तथा चेकिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा वाहनों के सीसों पर लगी काली फिल्मों को निकलवाया गया तथा यातायात नियमों का उलंघन करने वाले कुल 164 वाहनों से कुल 03 लाख 43 हजार रूपये का ई-चालान किया गया व 25 वाहनों को सीज किया गया।
चेकिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय, पीआरओ श्री गुलाब त्रिपाठी,यातायात उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।